

Village

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 108 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक 13-4-2017

मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0
द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,
प्लॉट नं0-297, (Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,
सहारनपुर।

आपके मानचित्र-303/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-297,(Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-297 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
 - 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
 - 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 - 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
 - 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 - 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
 - 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
 - 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
 - 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
 - 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
 - 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
 - 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/टेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
 - 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
 - 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
 - 17- भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेवल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
- संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपायुक्त

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

343 | Sawikarti Letter

कार्यालय

सहारनपुर

विकास

प्राधिकरण,

सहारनपुर।

पत्रांक 117 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक 13-4-2017

मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0

द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-298 (Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,

सहारनपुर।

आपके मानचित्र-284/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-298,(Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-298 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।

2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।

6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।

7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।

8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।

9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।

10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।

11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।

12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।

13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।

14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।

15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।

17- भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपस्थित
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय

सहारनपुर

विकास

प्राधिकरण,

सहारनपुर।

दिनांक 13-4-2017

पत्रांक 120 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0

द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-299 (Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,
सहारनपुर।

आपके मानचित्र-275/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-299,(Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-299 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।

2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्रा0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

5- उ0प्रा0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।

6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।

7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।

8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।

9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।

10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।

11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।

12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।

13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।

14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।

15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।

17- भवन निर्माण करते समय फ्लिन्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपस्थित
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 109 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक -2017

मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0

द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-303, (Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,

सहारनपुर।

आपके मानचित्र-280/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-303,(Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-303 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।

2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।

6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।

7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।

8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।

9- प्राधिकरण के अध्यासन (ऑकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।

10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।

11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।

12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।

13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।

14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।

15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।

17- भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 121 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक 13-4-2017

मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0
द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,
प्लॉट नं0-304, (Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,
सहारनपुर।

आपके मानचित्र-279/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मोहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-304,(Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-304 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
- 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
- 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
- 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
- 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
- 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
- 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
- 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
- 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
- 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
- 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
- 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
- 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- 17- भवन निर्माण करते समय प्लैन्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय

सहारनपुर

विकास

प्राधिकरण,

सहारनपुर।

पत्रांक 113 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक 13-4-2017


मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0

द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-470 (Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,
सहारनपुर।

आपके मानचित्र-270/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-470,(Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-470 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
 - 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
 - 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 - 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
 - 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 - 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
 - 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
 - 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
 - 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
 - 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
 - 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
 - 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
 - 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
 - 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
 - 17- भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेवल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
- संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।


सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय संहारनपुर विकास प्राधिकरण, संहारनपुर।

पत्रांक 111 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक 3-4-2017

मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0

द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-471, (Simplex T-2), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,

संहारनपुर।

आपके मानचित्र-278/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-471,(Simplex T-2), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, संहारनपुर भूखण्ड संख्या-471 संहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
 - 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्रा0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
 - 5- उ0प्रा0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 - 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
 - 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 - 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
 - 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
 - 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
 - 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
 - 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
 - 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
 - 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
 - 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
 - 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
 - 17- भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
- संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपस्थित
संहारनपुर विकास प्राधिकरण,
संहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 114 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक 13-4-2017

मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0
द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,
प्लॉट नं0-472, (Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,
सहारनपुर।

आपके मानचित्र-293/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-472,(Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-472 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
 - 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
 - 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 - 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
 - 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 - 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
 - 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
 - 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
 - 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
 - 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
 - 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
 - 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
 - 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
 - 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
 - 17- भवन निर्माण करते समय प्लैन्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
- संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 112 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक 13-4-2017

मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0

द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-473, (Simplex T-2), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,

सहारनपुर।

आपके मानचित्र-294/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-473, (Simplex T-2), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-473 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
- 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
- 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
- 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
- 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
- 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
- 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
- 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
- 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
- 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
- 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
- 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
- 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- 17- भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 118 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक 13-4-2017

मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0

द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-143, (Simplex T-3), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,
सहारनपुर।

आपके मानचित्र-306/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-143,(Simplex T-3), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-143 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।

2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।

6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।

7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।

8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।

9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।

10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।

11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।

12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।

13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।

14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।

15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।

17- भवन निर्माण करते समय प्लिन्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपस्थित
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 115 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक 13-4-2017

मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0

द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-144, (Simplex T-3), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,

सहारनपुर।

आपके मानचित्र-319/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-144,(Simplex T-3), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-144 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।

2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।

6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।

7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।

8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।

9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।

10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।

11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।

12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।

13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।

14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।

15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।

17- भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपनिष्ठा
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 116 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक 12-4-2017

मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0

द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-145, (Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,

सहारनपुर।

आपके मानचित्र-272/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-145,(Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-145 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
 - 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
 - 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 - 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
 - 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 - 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
 - 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
 - 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
 - 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
 - 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
 - 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
 - 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
 - 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
 - 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
 - 17- भवन निर्माण करते समय फ्लिन्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
- संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 119 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक 13-4-2017

मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0

द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-146 (Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,
सहारनपुर।

आपके मानचित्र-276/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-146,(Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-146 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
 - 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्रा0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
 - 5- उ0प्रा0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 - 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
 - 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 - 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
 - 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
 - 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
 - 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
 - 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
 - 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
 - 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
 - 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
 - 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
 - 17- भवन निर्माण करते समय प्लीन्थ एवं रूफ लेवल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
- संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपाध्यक्ष

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 116 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक 13-4-2017

मै0 पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0

द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-510, (Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,

सहारनपुर।

आपके मानचित्र-302/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-510, (Simplex T-1), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-510 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
 - 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
 - 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 - 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
 - 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 - 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
 - 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
 - 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
 - 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
 - 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
 - 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
 - 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
 - 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
 - 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
 - 17- भवन निर्माण करते समय प्लिन्थ एवं रूफ लेवल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
- संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपनिर्देश
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

दोयालय

सहारनपुर

विकास

प्राधिकरण,

सहारनपुर।

पत्रांक 277/स0वि0प्र0/जोन-10/2016-17

दिनांक 7-11-2017

श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-487, (Simplex T-2), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,
सहारनपुर।

आपके मानचित्र-277/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-487,(Simplex T-2), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-487 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
- 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
- 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
- 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
- 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
- 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
- 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
- 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
- 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
- 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
- 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
- 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
- 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- 17- भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपस्थित
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 283/स0वि0प्र0/जोन-10/2016-17

दिनांक 7-4-2017

श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-488, (Simplex T-2), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,
सहारनपुर।

आपके मानचित्र-283/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-488, पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-488 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
- 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
- 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
- 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
- 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
- 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
- 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
- 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
- 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
- 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
- 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
- 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
- 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- 17- भवन निर्माण करते समय प्लानिथ एवं रूफ लेवल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपायुक्त
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 310 / स0वि0प्रा0 / जोन-10 / 2016-17

दिनांक 7-4-2017

श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-489, (Simplex T-2), पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,
सहारनपुर।

आपके मानचित्र-310/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-489, पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-489 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
- 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
- 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
- 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
- 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
- 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
- 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
- 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
- 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
- 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
- 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
- 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
- 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- 17- भवन निर्माण करते समय प्लैन्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय

सहारनपुर

विकास

प्राधिकरण,

सहारनपुर।

पत्रांक 369 /सोवि0प्र0/जोन-10/2016-17

दिनांक 07-04-2017

श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं०-490, पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,

सहारनपुर।

आपके मानचित्र-309/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं०-490,, पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-490 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
 - 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
 - 5- उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 - 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
 - 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 - 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
 - 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
 - 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी० एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
 - 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी० एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
 - 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
 - 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
 - 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/टेकेंदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
 - 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
 - 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
 - 17- भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
- संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय

सहारनपुर

विकास

प्राधिकरण,

सहारनपुर।

पत्रांक 301 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-491, पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,

सहारनपुर।

दिनांक 2-4 -2017

आपके मानचित्र-301/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-491, पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-491 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
 - 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
 - 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 - 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
 - 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 - 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
 - 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
 - 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
 - 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
 - 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
 - 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
 - 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
 - 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
 - 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
 - 17- भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
- संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

सहायक
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 295 /स0वि0प्रा0/जोन-10/2016-17

दिनांक 7-4-2017

श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-518, पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,

सहारनपुर।

आपके मानचित्र-295/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-518, पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-518 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
 - 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
 - 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 - 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
 - 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 - 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
 - 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
 - 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
 - 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
 - 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
 - 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
 - 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
 - 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
 - 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
 - 17- भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेवल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
- संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपस्थित
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 304 /स0प्र0/जोन-10/2016-17

दिनांक 07.04.2017

श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-519, पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,

सहारनपुर।

आपके मानचित्र-304/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-519, पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-519 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
- 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
- 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
- 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
- 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
- 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
- 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
- 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
- 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
- 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
- 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
- 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
- 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- 17- भवन निर्माण करते समय प्लैन्थ एवं रूफ लेवल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपाध्यक्ष

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक 307 /स0वि0प्र0/जोन-10/2016-17

दिनांक 2-4-2017

श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-520, पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,
सहारनपुर।

आपके मानचित्र-307/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-520, पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-520 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
- 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
- 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
- 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
- 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
- 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
- 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
- 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
- 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
- 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
- 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
- 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
- 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- 17- भवन निर्माण करते समय प्लैन्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

कार्यालय

सहारनपुर

विकास

प्राधिकरण,

सहारनपुर।

पत्रांक 296 /स0वि0प्र0/जोन-10/2016-17

दिनांक 07.04.2017

श्री प्रदीप कुमार शर्मा,

प्लॉट नं0-521, पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड,

सहारनपुर।

आपके मानचित्र-296/2016-17 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी प्लॉट नं0-521,पार्श्व नाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर भूखण्ड संख्या-521 सहारनपुर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 वर्ष तक वैध है।
 - 2- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - 3- इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - 4- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
 - 5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 - 6- स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कोई भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
 - 7- आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 - 8- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
 - 9- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
 - 10- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमी0 एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
 - 11- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
 - 12- भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टावर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
 - 13- निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
 - 14- निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/टेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
 - 15- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
 - 16- बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
 - 17- भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेवल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
- संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपाध्यक्ष

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।